उक्त विवाद्यक साबित करने करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 प्रतिवादीगण के पक्ष में विरूद्ध वादीगण साबित हुए है। अतः तहसीलदार जैतारण से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उक्त वादग्रस्त खसरे की भूमि पर किसी प्रकार की प्लॉटिंग नही कर रखी है तथा न ही अकृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में कोई टिनेन्सी शर्तो का उल्लंघन नही किया है। उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः विवाद्यक वार विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त तीनो विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध साबित होने से हमारा विनम्र अभिमत है कि उक्त वादपत्र भली भांति साबित नही होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा। चूंकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 18.11.2024 के अधीन नामान्तरकरण पारित किया जा चुका है, नामान्तरकरण से उक्त भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज की जा चुकी है। अतः उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जाकर पुनः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से संबंधित खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पातुस पटवार हल्का बिरोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण के खसरा संख्या 49/152 रकबा 0.9389 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की आई हुई है, वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से का वादपत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 18.11.2024 के अधीन नामान्तरकरण पारित किया जा चुका है, नामान्तरकरण से उक्त भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज की जा चुकी है। अतः उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जाकर पुनः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से संबंधित खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण		1. प्रभुराम पुत्र मुलाराम सीरवी सा. ठाकरवास 2. शिवदयाल चौधरी पुत्र लिखमाराम सीरवी सा. देवरिया

मु0न0 :रा0वा0स0: 104/2025 (176/2023)

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह श्री सुनील प्रजापति, अधिवक्ता, प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पातुस पटवार हल्का बिरोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण के खसरा संख्या 49/152 रकबा 0.9389 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की आई हुई है, वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से का वादपत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 18.11.2024 के अधीन नामान्तरकरण पारित किया जा चुका है, नामान्तरकरण से उक्त भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज की जा चुकी है। अतः उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जाकर पुनः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से संबंधित खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01.12.2025 को जारी किया गया।

मोहर

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला ब्यावर)

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वकालतनामा	0.00	स्टाम्प अर्जी	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	0.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	0.00	मिजानः–	3.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)